राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

माल का खेड़ा

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

२024/347

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
175-177 वादपत्र		२024/347		
	90/24	26/6/24		12/8/24 5/9/24 28/10/24 19/11/24 २0/11/24 निर्णय मोहीं २4/12/24 16/1/25 6/2/25 निर्णय 17/2/25 20/2/25 3/3/25

3/3/25 D/M

अनवान

श्री सरकार जरीये तहसीलदार — श्री गंगाराम पिता नंदा चमार

निवासी मांडलगढ़ — निवासी इन्द्रो का खेड़ा

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट — अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार — मदयून

श्री ~~[illegible]~~ — श्री Ex-Party

पैरोकार सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स अज

उपखण्ड अधिकारी
22/4/24

पत्रावली राज्य सरकार के आदेश से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ से प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते शहादत वादी आगामी दिनांक 12/8/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते शहादत वादी आगामी दिनांक 5/9/24 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। ... वादी ... पीठासीन अधिकारी श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 2/10/24 वास्ते शहादत वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

पत्रावली ... दौरे पर है ... दिनांक 8/11/24 वास्ते शहादत वादी पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा

TOR BIJ0154 बनाम गंगाराम

किस्म मुकदमा धारा 175-177 प्रकरण संख्या 90/24

GCMS नम्बरः- 2024/347

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/2/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 20/2/25 को वास्ते निर्णय/बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
20/2/25	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी लगातार अनुपस्थित। पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 3/3/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
3/3/25	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली को स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

राजस्थान सरकार

यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

वादपत्र संख्या 181 / 2007 (माण्डलगढ़) दायर तारीख 26.09.2007 (माण्डलगढ़)
वादपत्र संख्या 90 / 2024 (बिजौलियां) दायर तारीख 26.06.2024 (बिजौलियां)

अनवान्

01. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी माण्डलगढ़ / तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
.........वादी

बनाम्

01. गंगाराम पिता नंदा चमार निवासी उद्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
02. रामकिशन पिता काना गुर्जर निवासी उद्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....अधिवक्ता वादी
2. श्री कैलाशचन्द्र, श्री दिनेश तम्बोली – अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 175–177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–03 /03/ 2025

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी तहसीलदार बिजौलियां / माण्डलगढ़ ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया / अनुतोष चाहा कि ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार मण्डल माल का खेड़ा भू.अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 257 में अंकित खसरा नम्बर 194 / 1 क्षेत्रफल 3 बीघा 02 बिस्वा एवं ग्राम उन्द्रों का खेड़ा के खाता संख्या 249 में अंकित खसरा नम्बर 194 / 2 क्षेत्रफल 3 बीघा 02 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 06 बीघा 04 बीस्वा भूमि प्रतिवादीगण गंगाराम पिता नन्दा एवं मोडी बेवा मोडा (भूदान यज्ञ बोर्ड राजस्थान जयपुर) के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 194 / 1 क्षेत्रफल 3 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 194 / 2 क्षेत्रफल 3 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी तृतीय भूमि जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 के अनुसार आराजी संख्या 194 / 1 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि श्रीमति मोडी बेवा मोडा चमार सा. उन्द्रों का खेड़ा के नाम 2039 से भूदान होल्डर की हेसियत से दर्ज रिकॉर्ड है तथा आराजी नम्बर 194 / 2 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा भूमि भूदान गंगाराम पिता नन्दा चमार सा. उन्द्रों का खेड़ा के नाम संवत् 2039 से भूदान होल्डर की हेसियत से दर्ज रिकॉर्ड है। साक्ष्य स्वरूप जमाबन्दी की नकलें वाद पत्र के साथ संलग्न है।

2. श्रीमति मोडा बेवा मोडा चमार की मृत्यु हो चुकी है। मृतका के कोई जायन्दा औलाद नहीं है। मृतका मोडी, गंगाराम पिता नन्दा चमार की रिश्ते में काकी लगती है। मोडी के कोई वारिस नहीं होने से गंगाराम चमार ही पूर्व से मोड़ी की जमीन पर काबीज था। इस प्रकार गंगाराम चमार स्वयं की व काकी मोडी की जमीन पर काबीज होकर काश्त करता था। साक्ष्य स्वरूप मौका पर्चा पटवारी साथ संलग्न है। दिनांक 30.06.2004 को गंगाराम पिता नन्दा चमार ने 100 / –रूपयें के स्टाम्प संख्या 2708 दिनांक 30.06.2004 पर रामकिशन पिता काना गूजर निवासी उन्द्रों का खेड़ा के पक्ष में विकय इकरार नामा तादादी 1,00,000 / –अक्षरे एक लाख का सम्पादित्त करा स्वयं की 03 बीघा 02 बिस्वा व काकी मोडी की 03 बीघा 02 बिस्वा कुल 06 बीघा 04 बिस्वा भूमि का बेचान कर भूमि का कब्जा सिपुर्द कर दिया। वर्तमान में दोनों की भूमि पर रामकिशन गुर्जर का कब्जा है। साक्ष्य स्वरूप विकय इकरार नामा की जेरौक्स प्रति साक्ष्य संलग्न है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

गाराम पिता नन्दा चमार व मृतक मोडी बेवा मोडा चमार आंवटित भूमि के उपकृषक है, खातेदार नही । उक्त भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड राजस्थान जयपुर के खाते की भूमि है जिसे आवंटी द्वारा किसी भी हक व अधिकार से खुर्द–बुर्द/विक्रय/बक्षीस/करने का अधिकार नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175–177 के तहत कार्यवाही कर उनके नाम हटाकर (मोडी बेवा मोडा चमार सहित) भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड राजस्थान जयपुर के नाम दर्ज कराने तथा विपक्षीगण संख्या 02 को भूमि से बेदखल करने के आदेश प्रदान करावें। तहसीलदार बिजौलियां ने वाद पत्र के साथ मौका पर्चा, विक्रय इकरार नामा, नकल जमाबन्दी पेश की जो शामिल पत्रावली है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण को बाद तामील होकर नोटिस प्राप्त हुए जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया । विपक्षीगण की और से अधिवक्ता श्री कैलाशचन्द्र, श्री दिनेश तम्बोली ने अधिकार पत्र पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी अधिवक्ता ने जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । न्यायालय द्वारा तनकी कायम की गई। जो शामिल पत्रावली है।

राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई जिसे दिनांक 26.06.2024 को दर्ज रजिस्टर कर वादी/प्रतिवादी को सूचनार्थ नोटिस/तामील जारी की गई। वादी की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बाद सूचना अनुपस्थित रहे । विपक्षीगणों को 03 बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण की और से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में पूर्व में पेश जबाव का अध्ययन किया गया । पूर्व में पेश तनकी को वादी के पक्ष में डिकी किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं तहसीलदार द्वारा पेश दावे एवं दस्तावेजों का अध्ययन किया गया एवं विपक्षी के जवाब का अध्ययन किया गया । तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की गई। एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई एवं साक्ष्य/दस्तावजों का अध्ययन/मनन किया गया । पत्रावली में आदेश दिए जाते हैं कि:–

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 175–177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार मण्डल माल का खेड़ा भू.अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 257 में अंकित खसरा नम्बर 194/1 क्षेत्रफल 3 बीघा 02 बिस्वा एवं ग्राम उन्द्रों का खेड़ा के खाता संख्या 249 में अंकित खसरा नम्बर 194/2 क्षेत्रफल 3 बीघा 02 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 06 बीघा 04 बीस्वा भूमि से विपक्षी 01 गंगाराम पिता नन्दा व मोडी बेवा मोडा चमार का नाम हटा कर उनके स्थान पर उक्त दोनों खसरे 194/1 व 194/2 कुल 06 बिघा 04 बीस्वा भूमि **भूदान यज्ञ बोर्ड राजस्थान जयपुर** के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड की जावें। साथ ही तहसीलदार बिजौलियां को निदेर्शित किया जाता है उक्त दोनों खसरों से विपक्षी नम्बर 02 रामकिशन पिता काना गुर्जर निवासी उन्द्रों को **भूमि से बेदखल** किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। डिकी मूर्तिब हों। तहसीलदार बिजौलियां आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अतिशीघ्र प्रेषित करें।

आदेश आज दिनांक 03/03/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

लय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान् अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस)

संख्या 181 / 2007 (माण्डलगढ़) दायर तारीख 26.09.2007(माण्डलगढ़)

संख्या 90 / 2024 (बिजौलियां) दायर तारीख 26.06.2024(बिजौलियां)

अनवान्

ास्थान सरकार जरिये भूमिधारी माण्डलगढ़ / तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

गाराम पिता नंदा चमार निवासी उद्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

ामकिशन पिता काना गुर्जर निवासी उद्रों का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

........मदयून

उपस्थित :– 1. पैरोकार तहसीलदार। ....डिक्रीदार।

2. श्री कैलाशचन्द्र, श्री दिनेश तम्बोली – मदयून।

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 175–177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 03 /03/ 2025

डिक्री दिनांक 03 /03/ 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 175–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम उन्द्रों का खेड़ा पटवार मण्डल माल का खेड़ा भू.अ.नि.क्षेत्र बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित खाता संख्या 257 में अंकित खसरा नम्बर 194/1 क्षेत्रफल 3 बीघा 02 बिस्वा एवं ग्राम उन्द्रों का खेड़ा के खाता संख्या 249 में अंकित खसरा नम्बर 194/2 क्षेत्रफल 3 बीघा 02 बिस्वा भूमि किस्म बारानी तृतीय कुल खसरे 02 क्षेत्रफल 06 बीघा 04 बीस्वा भूमि से विपक्षी 01 गंगाराम पिता नन्दा व मोडी बेवा मोडा चमार का नाम हटा कर उनके स्थान पर उक्त दोनों खसरे 194/1 व 194/2 कुल 06 बिघा 04 बीस्वा भूमि **भूदान यज्ञ बोर्ड राजस्थान जयपुर** के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड की जावें। साथ ही तहसीलदार बिजौलियां को निदेर्शित किया जाता है उक्त दोनों खसरों से विपक्षी नम्बर 02 रामकिशन पिता काना गुर्जर निवासी उन्द्रों को **भूमि से बेदखल** किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। डिक्री मूर्तिब की गई। तहसीलदार बिजौलियां आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अतिशीघ्र प्रेषित करें।

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....

बावत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... माह ..... वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला–भीलवाड़ा

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियां

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
जीदया			स्टाम्प अरजीदया		
कीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
जह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
ना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
गवाह			खर्चा गवाह		
कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
त इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा